

सीन अधिकारी :- बन्शी धर योगी, (आर0ए0एस0)

दमा संख्या :- 65/2-24 सु-पत्र

1. सोमनाथ सोमनाथ जोगी जे. जोगी का पलायन - 1173-1170
प्रार्थी.....

बनाम
21. तिलोत्तम सोमनाथ जोगी जे. जोगी का पलायन - 1173-1170
विपक्षीगण.....

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: आदेश :: दिनांक 18/6/24

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत किया कि ग्राम सुजिना पटवार हल्का सुजिना तहसील करेडा में उसके खाते/संयुक्त खाता संख्या 229 आराजी नम्बर 1173,

कुलकिता 1 रकबा 0.2023 हैक्टेयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/ संयुक्त खातों की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

स्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 18/6/24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को र्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने गरी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी होने का है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम सुजिना पटवार हल्का सुजिना तहसील करेडा में स्थित खाता संख्या 229 आराजी नम्बर 1173,

कुलकिता 1 रकबा 0.2023 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की कारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक सुजिना को 400/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। इस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये बेन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नही की जावे।

प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

उपखण्ड अधिकारी
करेडा, जिला-भीलवाडा

तहसीलदार करेडा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
करेडा, जिला- भीलवाडा